

जल जीवन मशिन का वर्ष 2028 तक वसितार

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

केंद्रीय बजट 2025-26 में शेष (20%) ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से **जल जीवन मशिन (JJM)** की अवधि को वर्ष 2028 तक बढ़ा दिया गया है।

■ जल जीवन मशिन (JJM):

- **जल जीवन मशिन:** JJM को वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पेयजल उपलब्ध कराना है।
- **प्रगति:** वर्ष 2019 में केवल 3.23 करोड़ (17%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन उपलब्ध थे।
 - वर्ष 2024 तक, इसमें 15 करोड़ परिवार (ग्रामीण भारत का 80%) शामिल किये गए।
- **फोकस:** मशिन के वसितार में बुनियादी ढाँचे की गुणवत्ता में सुधार लाने और ग्रामीण पाइप जलापूर्ति प्रणालियों के संचालन और रखरखाव को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें सार्वजनिक भागीदारी पर विशेष जोर दिया जाएगा।
- **समझौता ज्ञापन (MOU):** स्थिरता और नागरिक-केंद्रित जल सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिये राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ नए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये जाएंगे।

JJM का प्रभाव:

- **समय की बचत:** विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि JJM से प्रतिदिन 5.5 करोड़ घंटे की बचत होगी, जो मुख्य रूप से महिलाओं के लिये पानी इकट्ठा करने में खर्च होता है।
- **स्वास्थ्य लाभ:** JJM से डायरिया रोगों से होने वाली लगभग 400,000 मौतों को रोका जा सकता है तथा 14 मिलियन विकलांगता-समायोजित जीवन वर्षों (Disability-Adjusted Life Years-DALYs) को बचाया जा सकता है।
- **शिशु मृत्यु दर में कमी:** शोध से पता चलता है कि सुरक्षित जल से शिशु मृत्यु दर में 30% की कमी आ सकती है, जिससे प्रतिवर्ष 136,000 लोगों की जान बच सकती है।

जल जीवन मिशन (हर घर जल)

शुरुआत:

15 अगस्त, 2019



उद्देश्य:

- कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) के माध्यम से वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर जल उपलब्ध कराना।

क्रियान्वयन:

- जलशक्ति मंत्रालय: नोडल मंत्रालय
- पानी समितियाँ: गाँव में जलापूर्ति प्रणाली की योजना तैयार करना, उसका क्रियान्वयन करना, प्रबंधन और रख-रखाव करना।
- सदस्य: 10-15 (कम-से-कम 50% प्रतिशत महिलाएँ)

- गोवा तथा दादरा और नगर हवेली व दमन और दीव (D-NH and D-D) देश में क्रमशः पहले 'हर घर जल' प्रमाणित राज्य और केंद्रशासित प्रदेश हैं।

वित्तीयन प्रतिरूप:

- केंद्र प्रायोजित योजना
 - केंद्र : हिमालयी तथा पूर्वोत्तर राज्य- 90:10
 - केंद्र : अन्य राज्य - 50:50
 - केंद्रशासित प्रदेशों के मामले में 100% केंद्र द्वारा

प्रमुख घटक:

- बॉटम-अप प्लानिंग
- महिला सशक्तीकरण
- भविष्य की पीढ़ियों पर विशेष ध्यान
- कौशल विकास और रोजगार सृजन
- धूसर जल का प्रबंधन
- स्रोत की संधारणीयता



और पढ़ें: [जल जीवन मिशन \(JJM\)](#)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/jal-jeevan-mission-extended-till-2028>